


१३

३०१५१२३ फसलकी पैश हुई। वसुलाप करीकेन अनुपस्थित।
मूल वाद ०१२-२/०१२-५ में खारिज किया गया है अतः प्राप्ति का
पत्र का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्राप्ति पत्र आदेश दि. ०२/१०/२०
की इसी हद पर खारिज किया जा रहा है। फसली नगद से वाद ही
वाद ही मूल वाद के साथ संलग्न रहे सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
बहरोड़ (अलवर) राज.